

शुभक,

श्री हरीश चंद्र मिश्र,
विशेष शिक्षक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शुभक,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सहाय केन्द्र,
प्राति विहार, नई दिल्ली ।

दिनांक 17/1 अनुदान

तारीख 28 फरवरी, 2000

विषय:- ड्राइट होम पब्लिक स्कूल नानौता, सहरनपुर को सीबीआईसी नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिले जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर लूके परत करने का निदेश हुआ है कि / ड्राइट होम पब्लिक स्कूल, नानौता, सहरनपुर को सीबीआईसी नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिले जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय को वकीलुत तोतावटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की पुर्ण समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभागत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रित कार टि इन्डियन स्कूल सर्विफिकेट इत्यादिमान नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उत्तर-प्रदेश-माध्यमिक-शिक्षक-उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 151 संस्था अधिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिले जायेगा ।

Bright Home Shiksha Samiti
Nanauta (Saharanpur)
Secretary
Mishra

Bright Home Public School
Nanauta, Distt. Saharanpur
Principal

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जाएंगी और उन्हें तत्कालता प्राप्त आगतकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का साथ उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तमम तमम पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे तैय्या उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पंजीकाओं में रखा जाएगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जाएगा।

2- पुस्तिकायें यह भी होंगी कि तैय्या द्वारा _____ प्राप्ति एकदु भूमि की पूर्ति कर ली जाय।

3- उक्त पुस्तिकायों का पालन करना तैय्या के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी तमम यह पाया जाता है कि तैय्या द्वारा उक्त पुस्तिकायों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक या विरथिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुस्तक अनापत्ति प्रमाण पत्र आपत से लिया जाएगा।

भवदीय,


। सत्येन्द्र मिश्र ।
विशेष सचिव


पुस्तक-1745111/15-7-2000

पुस्तिकायें निम्नलिखित को सुचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर।
- 3- विद्या विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।
- 4- निरीक्षक, अग्न भारतीय विद्यालय, 3050, लखनऊ
- 5- प्रमुख, बुद्ध हॉम पब्लिक स्कूल, नानौता, सहारनपुर।


Secretary
Bright Home Shiksha Samiti
Nanauta (Saharanpur)


Principal
Bright Home Public School
Nanauta, Distt. Saharanpur

उक्त से,

। सत्येन्द्र मिश्र ।
विशेष सचिव ।